

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3454(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1295(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “गांधीग्राम ट्रस्ट, गांधी ग्राम-624302, डिंगीगुल जिला, तमिलनाडु” द्वारा “गांधीग्राम ट्रस्ट के बालगृह/अस्पताल, शिक्षण संस्थानों हेतु स्थायित्व तथा बिल्डिंग कार्पस निधि” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 को शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1389(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 को शुरू होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 11.02.2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 448(अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1389(अ) के द्वारा अनुमानित लागत को 50.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 100 लाख रुपये कर दिया था;

और जबकि 100 लाख रुपये की अनुमोदित लागत को बिना कोई परिवर्तन किए 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 100 लाख रुपये किए जाने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत 100 लाख रुपये की अनुमोदित परियोजना लागत में कोई परिवर्तन किए बिना कार्पस निधि को 50.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 100.00 लाख रुपये करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “गांधीग्राम ट्रस्ट, गांधी ग्राम-624302, डिंगीगुल जिला, तमिलनाडु” द्वारा चलायी जा रही “गांधीग्राम ट्रस्ट के बालगृह/अस्पताल, शिक्षण संस्थानों हेतु स्थायित्व तथा बिल्डिंग कार्पस निधि” दिनांक 4 जून, 2008 की उक्त अधिसूचना सं० सां० आ० 1295(अ०) में निम्नलिखित प्रभाव से संशोधन करती है नामतः

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं० 3 के सामने तालिका में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कालम (4) में “50.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 100.00 लाख रुपये” अक्षरों, अंकों और शब्दों को “100 लाख रुपये की कार्पस निधि” अक्षरों, अंकों और शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 280/2015/फा. सं. वी -27015/4/2015 एस ओ (एन.सी.)]

मकबन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)